



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-27

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 251769 दिनांक 16/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Rekha Swami S/o Shashi Swami एवं Bhavesh Vaishnav Shashi Swami एवं Aayush Vaishnav Shashi Swami	श्री रामावतार शर्मा पुत्र श्री राम किशोर शर्मा	SHOP9-A	23.22 SQ. METER	JDA	CENTRAL SPINE Sector/Block-S-33	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	जविप्रा की योजना सेन्ट्रल स्पाईन ब्लॉक एस-33 के शॉप नं. 9ए क्षेत्रफल 23.22 व.मी की लीजडीड दिनांक 24.02.2009 को श्री रामावतार शर्मा पुत्र श्री राम किशोर शर्मा के नाम से जारी की गयी है। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.03.2009 को श्री रामावतार शर्मा पुत्र श्री राम किशोर शर्मा द्वारा शशि स्वामी पुत्र श्री ताराचंद को कर दिया गया। शशि स्वामी का निधन दिनांक 18.01.2014 को हो चुका है जिसके पश्चात् उनके वारिसारन निम्नानुसार हैं:- रेखा स्वामी पत्नी



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								2. भावेश वैष्णव पुत्र 3. आयुष वैष्णव पुत्र है। आवेदकगण द्वारा लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड लीज हेतु आवेदन किया गया है। उक्त पत्रावली जोन कार्यालय रिकॉर्ड अनुसार उपलब्ध नहीं हो पा रही है जिसकी तलाश जारी है एवं सीपीआरएम रिकॉर्ड अनुसार उक्त भूखण्ड श्री सतीश चन्द्र पुत्र भोजराज के नाम से दर्ज है। अतः प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना है।
--	--	--	--	--	--	--	--	--

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Rekha Swami S/o Shashi Swami एवं Bhavesh Vaishnav Shashi Swami एवं Aayush Vaishnav Shashi Swami को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004